संख्या : 5508-1/62-2-2012-2/2(10)2012

प्रेषक,

एस0के0द्विवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक :17 जनवरी 2013

विषयः-निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत गहरी बोरिंग योजना में **एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम की स्थापना करने पर अनुदान दिये जाने की प्रकिया का निर्धारण।**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 3940/62-2-2012-2/2(10)/2012 दिनांक 20.11.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु नलकूप निर्माण के लिए अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 0.10 लाख का अनुदान पृथक से अनुमन्य कर दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में कृषकों द्वारा एच0डी0पी0ई0पाइप सिंचाई सिस्टम की स्थापना किये जाने पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था अनुमन्य की जा रही हैः-

1. उक्त गहरे नलकूपों पर जल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आई0एस0आई मार्क (सहज संयोजी पालीएथिलिन पाइप I.S.Code14151पार्ट-1/2008यथासंशोधित) एच0डी0पी0ई0 पाइप मय फिटिंग का प्रयोग किया जायेगा। एच0डी0पी0ई0 पाइप का नामिनल व्यास 90 एम.एम. से 110 एम.एम.व्यास होगा तथा फिटिंग के रूप में एक पम्प कनेक्टिंग निपिल, एक बेन्ड, एक टी तथा एक इण्ड कैप एक सेट में अनुमन्य होगा।

2 एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम की स्थापना निर्मित होने वाली सभी गहरी बोरिंग में होनी है। अतः बोरिंग कराने के पूर्व नियमानुसार बोरिंग तथा जल वितरण प्रणाली हेतु कृषक के अंश की धनराशि जमा होने के उपरान्त ही बोरिंग का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

A.K1101

3. सहायक अभियन्ता कृषकों द्वारा जमा धनराशि एवं विभागीय बजट में एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम हेतु अनुमन्य अनुदान की उपलब्ध धनराशि के आधार पर पाइप एवं फिटिंग की डिमाण्ड अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायेगें, जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. एच0डी0पी0ई0 पाइप मय फिटिंग के क्रय की व्यवस्था मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा स्टोर पर्चेज नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। पाइप क्रय के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि गतवर्ष के किसी भी योजना में यदि कोई वॉछित पाइप अवशेष हो तथा उसका प्रयोग सम्बन्धित योजना में जिसके लिए क्रय किया गया था सम्भव न हो, सर्वप्रथम उपयोग कर लिया जायेगा और तद्नुसार लेखा का समायोजन कर लिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता द्वारा क्रय आदेश निर्गत होने के उपरान्त क्रय आदेश में इंगित दरों के अनुसार यदि कृषकों से और धनराशि जमा कराने की आवश्यकता होगी तो सहायक अभियन्ता उसे जमा कराकर ही एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम कृषकों को उपलब्ध करायेगें। यदि कृषकों द्वारा जमा धनराशि इंगित दरों के अनुसार कृषक अंश से अधिक है तो पाइप उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

5. एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम मय फिटिंग हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था गहरी बोरिंग योजना के अन्तर्गत निर्गत धनराशि से की जायेगी। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता निर्गत धनराशि के सापेक्ष एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम मय फिटिंग हेतु आवश्यक धनराशि का मात्राकरण पूर्व से ही कर लेगें।

6. कृषकों को एच0डी0पी0ई0 पाइप पर अनुदान दिनांक 20.11.2012 के उपरान्त निर्मित बोरिंग पर देय होगा।

7. कार्यक्रम की सफलता के लिए गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाये रखा जाना आवश्यक होगा। कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं फिटिंग का विभिन्न स्तरों से निरीक्षण /सत्यापन आवश्यक होगा। विभागीय स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा शत–प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सत्यापन के समय अवर अभियन्ता यह भी चेक करेगें कि कृषक को उपलब्ध कराया गया एच0डी0पी0ई0 पाइप व फिटिंग्स आई0एस0आई0मार्क है अथवा नहीं। यदि पाइप व फिटिंग्स पर निर्धारित आई0एस0आई0 मार्क नहीं पाया जाता है तो उसकी सूचना सम्बन्धित अवर अभियन्ता तत्काल सहायक अभियन्ता के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता को देगें जो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगें। सहायक अभियन्ता,अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता,लघु सिंचाई द्वारा अपने–अपने कार्यक्षेत्र में इस प्रकिया के

अन्तर्गत कम से कम 10 प्रतिशत स्थापित एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम का सत्यापन करेंगें।

इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार क्षेत्र में किया जाये, ताकि सिंचाई के लिए उपलब्ध भूगर्भ जल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

(एस0के0द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या :-५५०८/62-2-2012तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव,मा0 मुख्य मंत्री,उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव,वित्त/नियोजन/कार्यक्रमक्रियान्वयन/समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
5- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
6- महाप्रबन्धक,नाबार्ड,लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन लखनऊ।
9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
11- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
12- उपनिदेशक,सॉंख्यिकीय सेल,लघु सिंचाई विभाग,लखनऊ।
13- अधीक्षण अभियन्ता/ विषय विशेषज्ञ,लघु सिंचाई प्रकोष्ठ,लखनऊ।
14- अधिशासी अभियन्ता,आपूर्तिखण्ड,लघु सिंचाई विभाग,लखनऊ।
15- वित्त (व्यय नियंत्रण),अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन।
16- गार्ड फाइल, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(एस0के0द्विवेदी)
विशेष सचिव।

A K1103